

1	2	3	4	5
298.	1037129	83-02-16	84-02-15	IS : 6914—1978
299.	1038636	83-03-01	84-02-29	IS : 2373—1973
300.	1038737	83-01-16	84-01-15	IS : 398(Part II) —1976

[No. CMD/13 : 12]

A.P. BANERJI, Addl. Director General.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1983

क्र० आ० 3276.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 216 (अ) तारीख 25 मार्च, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी

अनुसूची

हिंडगिर एक्सटेंशन ब्लाक

(उत्तरी कर्णपुर कोलफील्ड)

डाइंग राजस्व 89/81 तारीख 28 अक्टूबर, 1981

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार :

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	हेन्डग	बर्मू	31	रांची	183.00	भाग
2.	छापर	बर्मू	33	रांची	186.15	भाग
3.	बिजा	बर्मू	34	रांची	15.85	भाग

कुल क्षेत्र : 385.00 एकड़ (लगभग)

या 155.80 हेक्टर (लगभग)

ग्राम हेन्डग में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :—

15(भाग), 20(भाग), 21 से 24 25(भाग), 26 से 28, 152(भाग), 153 (भाग), 154 155(भाग), 156 (भाग), 157 (भाग), 158, 159, 160 (भाग), 161, 162 (भाग), 171 (भाग), 172 (भाग), 173 से 178, 179(भाग), 180(भाग), 181 (भाग) 220(भाग), 221(भाग), 222(भाग), 223(भाग), 224(भाग), 225 से 240, 241(भाग), 242, 243(भाग), 244(भाग) 246, 247, 248, 251, 259 .

ग्राम छापर में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 385.00 एकड़ (लगभग) या 155.80 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 385.00 एकड़ (लगभग) या 155.80 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त रांची (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

3(ii)

483(भाग), 484(भाग), 485(भाग), 486(भाग), 487 से 493, 494(भाग), 498(भाग), 499(भाग), 500, 501 (भाग), 502 (भाग), 503 (भाग), 504, 505, 506, 507 (भाग), 522 (भाग), 524 (भाग), 525 से 581 (भाग), 583 से 598, 599(भाग), 604(भाग), 605 से 688, 689(भाग), 690, 691, 692(भाग), 705(भाग), 706 (भाग); 2248

विजा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक—

2(भाग), 39(भाग) 40(भाग).

विजा वर्गन :—

1- रेखा ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 15, 25, 20, 25, 153, 152, 155, 156, 157, 160, 162, 171, 172, 180, 179, 181, 224, 241, 223, 220, से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

2- रेखा ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 220 221, 222, 244, 223, 244, 223, 243 से होकर ग्राम विजा में प्लॉट सं० 40, 39, 2 और 1 और (नाला) से होकर और ग्राम छपर में प्लॉट सं० 707 (नाला) 706, 705, 689, 707 (नाला) से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

3- रेखा ग्राम छपर में जो (जो हिन्दगिर कोयला खान की सम्मिलित सीमा बनाती है) प्लॉट सं० 707(नाला) 689, 522, 692, 522, 524, 507, 498, 503, 502, 501, 499, 494, 486, 485, 484, 483, 599 से होकर जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

4- रेखा ग्राम छपर में प्लॉट सं० 599, 582 से होकर और ग्राम हेन्डग में प्लॉट सं० 15 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19(120)-81 सी० एल०.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 2nd August, 1983

S.O. 3276 :—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S. O. 216(E) dated the 25th March, 1981, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 385.00 acres (approximately) or 155.80 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 385.00 acres (approximately) or 155.80 hectares (approximately), described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner Ranchi (Bihar), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the Office of the Central Coalfields Limited, (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

HINDEGIR EXTN. BLOCK

North Kanpura Coalfield

Drg. Rev/89/81 dated 28-10-81
(Showing lands acquired)

All Rights

Serial No.	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Hendag	Burmu	31	Ranchi	183.00	Part
2.	Chhapar	"	33	"	186.15	"
3.	Binja	"	34	"	15.85	"
Total area :—					385.00 acres (approximately)	
					or	155.80 hectares (approximately)